★सुरक्षा★विकास★जागरण★एकता

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच

Forum for Awareness of National Security (FANS)
(Regd. No. S/1723/District South/2014)
101, H.I.G. DDA Flats, Block-1,
Motia Khan, Paharganj Pin Code. 110055.
M: 8178828297, 8375965010 Ph: 011-43524524

प्रस्ताव क्रमांक -2

नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय सम्मान

भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष और आजाद हिन्द फ़ौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का उत्तरार्द्ध समकालीन सत्ताधीशों के क्षुद्र और स्वार्थी राजनैतिक वजहों से अनेक भ्रांतिया एवं किवदंतिया से घिरा रहा| राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच भारत की वर्तमान केंद्र सरकार और हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्थक प्रयासों को साधुवाद देता है, जिन्होंने 70 वर्षों बाद, नेताजी से जुड़े दस्तावेज सार्वजानिक किए और जनसामान्य के सामने अनेक रहस्यों को उजागर किया|

हमारी भारत सरकार से अपेक्षा है कि नेताजी के जीवन से जुड़े विषयों के निष्कर्षों का यह पुनीत कार्य अभी अधूरा है और इसे अविलम्ब एक निर्णायक लक्ष्य तक पहुंचना समीचीन होगा| जैसे कि नेता जी की अकाल मृत्यु को लेकर अनेक दावे प्रचलन में है| सन 1945 में 18 अगस्त के दिन ताइवान में एक विमान हादसे में नेताजी के निधन का समाचार स्वयं तत्कालीन कांग्रेस नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था| सभी ने मान लिया था कि नेता जी अब इस दुनिया में नही रहे, लेकिन बाद के वर्षों में खुले रहस्यों से पता चला कि उस दिन ताइवान तो क्या, पूरी दुनिया में कोई भी विमान हादसा नहीं हुआ था| अनेक लोगों ने दावा किया कि नेताजी को रूस में बंदी बनाकर रखा गया है| इसी दौरान श्री लालबहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी ताशकंद यात्रा के दौरान उनकी खींची गई एक तस्वीर में नेताजी के अक्स वाला व्यक्ति भी दिखाई दिया, जिसको लेकर अनेक भ्रांतिया उत्पन्न हो गई|

आमजन और नेताजी के परिजन निरंतर इस बात की मांग कर रहे है कि नेताजी के उत्तरार्द्ध के कालखंड और उनकी मृत्यु के बारे में सम्पूर्ण सच सामने लाया जाना चाहिए| तत्कालीन सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार आयोगों और जाँच-सम्मितियों का गठन करती रहीं, जिनका अपरोक्ष उद्देस्य नेताजी की मृत्य को विमान हादसा

साबित करना ही रहा| 1946 में फिगेश आयोग बना और ततपश्चात अनेक आयोग और बने, जैसे 1956 शाहनवाज समिति, 1970 में खोसला आयोग और 1999 में मुखर्जी आयोग| इनमें से सबसे लम्बा कार्यकाल मुखर्जी आयोग का रहा, जिसने 2005 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी| इन सभी जानवः आयोगों के निष्कर्षो पर न तो नेताजी के वंशज संतुष्ट हुए और न ही देश के जनता| कमोवेश ये सभी आयोग नेताजी की मृत्यु पर पर्दा डालने तक ही सीमित रहे| स्पष्ट है कि कुछ राजनैतिक दल नहीं चाहते थे कि नेताजी की मृत्यु और उनके जीवन से जुड़े रहस्यों का सच जनता के सामने आए |

इसी बिच में, फ़ैजाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से (उन्हें लोग भगवान जी के नाम से भी पुकारते थे) मशहूर शख्शियत के नेताजी के होने की चर्चाए खूब रहीं| 1956 से लेकर 1969 के मध्य एक मंदिर में रहने वाले साधु को लेकर जनमानस का खासा आकर्षण रहा, लेकिन शासकीय रूप से इसे न कोई मान्यता मिलनी थी, और न ही मिली| लेकिन, 16 सितम्बर 1985 को जब गुमनामी बाबा ने देहत्याग किया, तब उनका अंतिम संस्कार 18 सितम्बर 1985 को राज्य शासन की निगरानी में सेना द्वारा छावनी के भीतर किया गया| उनकी पार्थिव देह को तिरंगे में लपेटा गया था और उन्हें तोपों की सलामी दी गई, जो उनके अतिविशिष्ट होने का परिचायक था|

13 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखकर मांग की, कि नेताजी से जुड़े दस्तावेजों और सम्बंधित सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाए|

केंद्र सरकार ने 100 संचिकाएँ जनपटल पर रखीं, जिनमे पांडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री क्लीमेंट एटली को 1945 में लिखा एक गोपनीय पत्र भी शामिल है, जिसमें श्री नेहरू जी ने लिखा था-"प्रिय मिस्टर एटली, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है की आपके युद्ध अपराधी को स्टालिन ने रूस आने की अनुमति दे दी है| रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के संगठन का एक सदस्य है, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था| कृपया इसका संज्ञान लीजिए और जैसा आप उचित समझें वैसी कार्यवाही करें|"

राष्ट्रिय सुरक्षा जागरण मंच नेहरू के इस आचरण की कठोर शब्दों में निंदा करता है, और उनके परिजनों से यह अपेक्षा करता है कि वे पंडित नेहरू के इस राष्ट्र विरोधी कृत्य की सार्वजनिक तौर पर देश से क्षमा मांगे|

राष्ट्रिय सुरक्षा जागरण मंच नेहरू के इस आचरण की कठोर शब्दों में निंदा करता है, और उनके परिजनों से यह अपेक्षा करता है कि वे पंडित नेहरू के इस राष्ट्र विरोधी कृत्य की सार्वजनिक तौर पर देश से क्षमा मांगे|

1. नेताजी के जीवन के उत्तरार्ध और उनके मृत्यु से जुड़े सभी तथ्य निश्चित समयसीमा में जनपटल पर रखे जाएं और भारत सरकार चालू संसद सत्र में नेताजी की मृत्यु पर "श्वेतपत्र" लाने की घोषणा करे तथा नेताजी को भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष के रूप में घोषित करे |
2. भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के सर्वोच्च सैन्य पदक "परम वीर चक्र" और सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित करे|
3. संयुक्त राष्ट्र संगठन, विदेश राष्ट्रों अथवा भारत के दस्तावेजों में जहा कहीं भी नेताजी के नाम का उल्लेख **"युद्ध अपराधी"** (War Criminal) के रूप में किया गया है, भारत सरकार तत्परतापूर्वक उस उल्लेख को हटाने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करे|
4. 1857 की क्रांति से पूर्व और तत्पश्चात 1947 के आजादी महापर्व तक स्वाधीनता आंदोलनों में सहादत देने वाले अमर शहीदों के सम्मान से भारत ही नहीं अपितु **विश्व का सर्वोत्तम स्मारक** बनाया जाए|

(शनिवार दिनांक **2 अप्रैल 2016** को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की द्वितीय वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्ताव का प्रतिरूप)